दिनांक : 09.09.2011 को परिषद मुख्यालय पर सम्पन्न समस्त संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) एवं क्षेत्रीय उपनिदेशकों (निर्माण) मण्डी परिषद की संयुक्त समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

गत बैठक के निर्देशों का अनुपालन

गत बैठक के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) इलाहाबाद, सहारनपुर, कानपुर, झाँसी, आगरा व फैजाबाद संभाग के स्तर से ही अनुपालन आख्याऐं भेजी गयी हैं। इसी प्रकार कुल 41 निर्माण खण्डों में से मात्र 37 खण्डों से ही अनुपालन आख्याऐं प्राप्त करायी गयीं। कुछ संभाग/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आगामी बैठक के दिवस ही अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी जाती है। यह स्थिति उचित नहीं पायी गयी। पुनः स्पष्ट किया गया कि बैठक का कार्यवृत्त शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्गत होता है और इस प्रकिया में समय लगना स्वाभाविक है। निर्देशित किया गया कि बैठक में दिये गये निर्देशों को नोट किया जाया करे और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये एक सप्ताह में मुख्यालय को अनुपालन से अवगत कराया जाया करे।

आवक एवं आय

बैठक में आवक व मण्डी शुल्क की प्रगति के बारे में कृषि वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत माह अगस्त, 2011 तक की प्रगति प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि :–

कृषि वर्ष 2011–12 के माह अगस्त, 2011 में प्रदेश की मण्डी समितियों में प्राथमिक आवक 43.01 लाख मी0 टन तथा कुल आवक 56.97 लाख मी0 टन हुई है जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कमशः 4.4% एवं 2.6% अधिक है।

कृषि वर्ष 2011–12 के माह अगस्त, 2011 में कुल आय रू0 117.91 करोड़ हुई है जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्राप्त कुल आय रू0 90.02 करोड़ से रू0 27.89 करोड़ (अर्थात 31.0%) अधिक है।

कृषि वर्ष 2011–12 के माह अगस्त, 2011 में मण्डी शुल्क से आय रू0 80.79 करोड़ हुई है जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्राप्त मण्डी शुल्क रू0 65.33 करोड़ से रू0 15.46 करोड़ (अर्थात 23.7%) अधिक है।

कृषि वर्ष 2011–12 के माह अगस्त, 2011 में प्राथमिक आवक में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अलीगढ़, इलाहाबाद एवं गोरखपुर सम्भाग कमशः 19.1%, 12.4% एवं 8.5% की वृद्वि करके सबसे आगे रहे हैं।

इसी अवधि में प्राथमिक आवक की दृष्टि से आजमगढ, झाँसी, मुरादाबाद एवं वाराणसी की प्रगति कमशः –11.7%, –7.5%, –6.1% एवं –0.5% के साथ ऋणात्मक/सबसे खराब रही।

कृषि वर्ष 2011–12 में माह अगस्त, 2011 में कुल आय में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कानपुर, फैजाबाद एवं मुरादाबाद सम्भाग कमशः 61.4%, 46.5% एवं 44.7% की वृद्वि करके सबसे आगे रहे हैं।

इसी अवधि में कुल आय की दृष्टि से आजमगढ़, वाराणसी एवं मिर्जापुर सम्भागों की प्रगति कमशः 9.5%, 14.9% एवं 17.5% के साथ सबसे पीछे रही है।

कृषि वर्ष 2011–12 में माह अगस्त, 2011 में मण्डी शुल्क में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में फैजाबाद, अलीगढ़ एवं मुरादाबाद सम्भाग कमशः 38.5%, 35.5% एवं 31.7% की वृद्वि करके सबसे आगे रहे हैं। मण्डी शुल्क में सभी सम्भागों की प्रगति धनात्मक है।

इसी अवधि में मण्डी शुल्क की दृष्टि से वाराणसी, झाँसी एवं आगरा सम्भागों की प्रगति कमशः 13.5%, 14.0% एवं 14.5% के साथ सबसे पीछे रही है।

समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गयेः–

प्रदेश स्तर पर मण्डी समितियों की कमिक प्राथमिक आवक मण्डी शुल्क एवं कुल आय में कमशः 4.4%, 23.7% व 31.0% की वृद्वि हुई है। गत वर्ष की अपेक्षा हुई वृद्वि पर सन्तोष व्यक्त किया गया।

समीक्षा के दौरान स्पष्ट हुआ कि आवक एवं आय में वृद्वि का मुख्य कारण यह रहा कि गेहूँ की आवक में 1.7 लाख मी0 टन की वृद्वि होकर रू0 4.50 करोड़ अधिक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अवशेष मण्डी शुल्क की रू0 6.37 करोड़ की वसूली के साथ ही दुकान आवंटन से 7.57 करोड़ रू0 प्राप्त हुआ। मुख्य कृषि उत्पादों में वृद्वि और मेन्था उत्पाद में भी लगभग 30% की आवक में वृद्वि के फलस्वरूप लगभग रू0 4.00 करोंड़ मण्डी शुल्क की प्राप्ति हुयी।

मण्डी समितिवार समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हुआ कि 249 मण्डी समितियों में से मात्र 20 मण्डी समितियों की प्रगति ऋणात्मक है। 'क' विशिष्ट श्रेणी की औसत वृद्धि दर 16.1%, 'क' श्रेणी की 32.0%, 'ख' श्रेणी की 24.9% तथा 'स' श्रेणी की 24.2% रही। जिन मण्डी समितियों की प्रगति खराब है उन मण्डी समितियों के सचिवों को अलग से बुलाया जायेगा और विस्तृत समीक्षा की जायेगी।

प्रमुख कृषि उत्पादों की प्राथमिक आवक में कमी आने वाले सम्भागों में वाराणसी संभाग में धान, चना, आलू, प्याज, लकड़ी व अन्य उत्पादों, झॉसी सम्भाग में चना, मटर, सरसों, आलू, प्याज व लकड़ी, आगरा संभाग में चना, मटर, मसूर, आम व मत्स्य, मिर्जापुर संभाग में मटर, मसूर व गुड़, आजमगढ़ संभाग में धान, गेहूँ, मटर, सरसों, गुड़, आलू, लकड़ी व अन्य उत्पाद, गोरखपुर संभाग में गुड़ व लकड़ी, बस्ती संभाग में अरहर, सरसों, आलू, प्याज, लकड़ी, मत्स्य व अन्य उत्पाद, सहारनपुर संभाग में धान, सरसों, आम व अन्य उत्पाद, मेरठ संभाग में धान, चना, मटर, सरसों, गुड़, आम, मत्स्य व अन्य उत्पाद, बरेली संभाग में गेहूँ, गुड़ व आलू, इलाहाबाद संभाग में चना, आलू व लकड़ी, कानपुर संभाग में गेहूँ, आलू, आम, लकड़ी व मत्स्य, लखनऊ संभाग में चना, मटर, आलू व प्याज, मुरादाबाद संभाग में धान, आम, लकड़ी व अन्य उत्पादों, अलीगढ़ संभाग में धान, सरसों व लकड़ी तथा फैजाबाद संभाग में धान, आलू, लकड़ी व अन्य उत्पादों में कमी पायी गयी।

समस्त संभागीय उपनिदेशकों (प्रशासन/विपणन) को निर्देशित किया गया कि सचिवों से बैठक करें और मण्डी समितियों की माईक्रोलेविल पर समीक्षा करें। साथ ही अपने संभाग की मण्डी समितियों में प्राथमिक आवक में हुयी कमी के कारणों की समीक्षा कर कारणों सहित विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराये।

मण्डी समिति, नोयडा, बरेली, रामपुर, धनौरा, लखनऊ, लालगंज व बहराईच में कृषि उत्पाद मेन्था की आवक एवं मण्डी शुल्क में कमी के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हुए सम्बन्धित संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को समीक्षा कर प्रगति में सुधार कराये जाने के निर्देश भी दिये गये।

अवशेष मण्डी शुल्क

मा0 न्यायलयों से स्थगन एवं क्रय संस्थाओं पर अवशेष मण्डी शुल्क को छोड़कर व्यापारियों पर किसी भी दशा में मण्डी शुल्क एवं सेस की देय धनराशि अवशेष नहीं रहने से सम्बन्धित पूर्व बैठकों में लगातार दिये जा रहे निर्देशों की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि अलीगढ़, फैजाबाद, वाराणसी एवं सहारनपुर सम्भागों में पूर्व बकायों की वसूली हेतु प्रयास किये गये हैं। परन्तु दिनांक : 30 जून 2011 की अपेक्षा माह अगस्त 11' के अन्त में मुरादाबाद, कानपुर, आगरा, झॉसी, मेरठ, आजमगढ़, इलाहाबाद लखनऊ एवं बस्ती सम्भागों में व्यापारियों पर अवशेष मण्डी शुल्क एवं सेस की धनराशि में वृद्धि हुई है। अभी भी रू0 19.40 करोड़ की धनराशि वसूली योग्य अवशेष है। सरकारी संस्थाओं से इस माह रू0 5.29 करोड़ वसूला गया है।

संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को निर्देशित किया गया कि व्यापारियों पर जो धनराशि वसूली योग्य अवशेष है उसके लिए आर0सी0 निर्गत कराकर वसूली सुनिश्चित की जाये तथा सरकारी संस्थाओं को मण्डी शुल्क देयता के बिल उपलब्ध कराकर यथाशीघ्र वसूली के प्रयास सुनिश्चित किये जायें।

प्रवर्तन कार्यवाहियॉ

कृषि वर्ष 2011–2012 के प्रथम दो माहों में गत वर्ष 92.79 लाख की अपेक्षा वर्तमान वर्ष में रू0 117.12 लाख शमन शुल्क की प्राप्ति हुयी है। शमन शुल्क में 26.2% की सन्तोषजनक वृद्धि परिलक्षित है। परन्तु कुछ सम्भागों में प्रवर्तन कार्यवाहियों के अन्तर्गत वाहन पकड़ने व प्रतिष्ठानों की जॉच में यदि और अधिक प्रयास किये जाते तो शमन शुल्क में वृद्धि के साथ ही आय में भी वृद्धि होती। सहारनपुर, आगरा, मुरादाबाद, झॉसी, फैजाबाद, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, मिर्जापुर व अलीगढ़ में प्रवर्तन की कार्यवाही के अन्तर्गत शमन शुल्क में वृद्धि की गयी है। बरेली, इलाहाबाद व बस्ती सम्भागों में प्रथम दो माह में शमन शुल्क में कमी हुयी है। संबंधित संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को निर्देशित किया गया कि वे भी प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाहियॉ करते हुये शमन शुल्क में वृद्धि कराना सुनिश्चित करें।

कृषि उत्पादों के औसत भाव

सम्भाग के अन्तर्गत आने वाली मण्डी समितियों में एक ही जिन्स के औसत भावों में काफी अन्तर होने एवं मण्डी शुल्क के अपवंचन की संभावनाओं की जिज्ञासा के क्रम में समस्त सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को निर्देश दिये गये थे कि औसत भावों की अपने स्तर पर माइक्रोलेविल समीक्षा करें और उनमें सुधार लाया जाये। माह अगस्त 11' के प्रस्तुत विवरण से इसमें सुधार होना परिलक्षित हुआ है। संभागवार उत्पादों के न्यूनतम भाव तथा अधिकतम भाव वाली मण्डी समितियों के विवरण की फोटो–प्रतियॉ समस्त संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को उपलब्ध कराते हुए पुनः निर्देशित किया गया कि वे अपने संभाग के अन्तर्गत मण्डी समितियों का प्रत्येक माह भावों का विश्लेषण कर अन्तर की राशि की

वसूली सुनिश्चित करायें तथा अण्डररेटिंग पर अंकुश लगाते हुये भावों में सुधार कराया जाना सुनिश्चित करें। उत्पादों की मात्रा के आधार पर भावों में अन्तर के गत बैठक में बताये गये कारणों का परीक्षण करने पर उक्त तथ्य औचित्यपूर्ण नहीं पाये गये।

<u>दुकान आवंटन</u>

गत बैठकों में समस्त सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को निर्देश दिये गये थे कि सम्भाग के अन्तर्गत सभी मण्डी स्थलों में रिक्त दुकानों का आवंटन कर दिया जाये। विगत दो माहों में विभिन्न श्रेणी की 590 दुकानों का आवंटन किया गया है।

माह अगस्त, 2011 की सूचना के अनुसार खाद्यान्न की 69 दुकानों का आवंटन किया गया है और 802 दुकानें अभी भी आवंटन हेतु रिक्त हैं। इसी प्रकार फल सब्जी की 108 दुकानों का आवंटन किया गया है और 557 दुकाने अभी भी रिक्त हैं। साथ ही सुपर मार्केट की 82 दुकानों का आवंटन किया गया है तथा 530 दुकाने अभी भी रिक्त हैं। इस प्रकार कुल 1889 दुकानें अभी भी रिक्त हैं।

सम्बन्धित सम्भागीय उपनिदेशकों (प्रशासन/विपणन) को निर्देशित किया गया कि रिक्त दुकानों के आवंटन की प्रगति में सुधार लाया जाये।

<u>व्यापार स्थानान्तरण</u>

नवीन मण्डी स्थलों में व्यापार स्थानान्तरित किये जाने की समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कतिपय स्थलों में परिसम्पत्तियों के हैण्ड ओवर की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है अथवा स्थलों हेतु धारा 7(2)(ख) की अधिसूचना निर्गत नहीं है।

सम्यक् विचारोपरान्त निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित क्षेत्रीय उपनिदेशक (निर्माण) विगत 03 वर्षों में निर्मित परिसम्पत्तियों को अविलम्ब हैण्ड ओवर कर दें।

धारा 7(2)(ख) के 09 प्रकरण शासन स्तर पर सन्दर्भित हैं। विशेष सचिव, कृषि विपणन से अनुरोध किया गया कि अधिसूचनायें निर्गत करा दी जायें ताकि इन मण्डियों में व्यापार स्थानान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

<u>इलेक्ट्रॉनिक वे–ब्रिज</u>

कृषकों द्वारा मण्डी स्थलों में लायी जाने वाली उपज की सही तौल एवं आवक के रख–रखाव के नियन्त्रण हेतु निर्मित मण्डी स्थलों में एक या एक से अधिक स्थापित किये गये इलेक्ट्रॉनिक कॉटों के संचालन की समीक्षा की गयी। कॉटे संचालित किये जाने वाली फर्म के प्रतिनिधि की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए स्पष्ट हुआ कि मण्डी समिति, साहिबाबाद, मथुरा, सिकन्द्राबाद, आगरा, मऊरानीपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, पुवायॉ, बदायूँ, उझांनी, चन्दौसी, बाराबंकी, गोण्डा, भरथना, सुल्तानपुर, गोलागोकर्णनाथ, फर्रूखाबाद, राठ, महोबा, ललितपुर व झॉसी मण्डी स्थलों के कॉटों का प्रयोग नहीं हो रहा है। संबंधित संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को निर्देशित किया गया कि कॉटों के प्रयोग न होने के कारणों को स्पष्ट किया जाये तथा इन्हें अविलम्ब संचालित कराया जाये। यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन कॉटों का उपयोग हो भी रहा है उसमें गत वर्ष की भॉति मण्डी समिति, हापुड़, सहारनपुर, बुलन्दशहर, एटा, मेरठ, बदायूँ, चन्दौसी, बरेली, पुवायॉ व झॉसी में बहुत ही कम मात्रा में तौलाई की गयी है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मण्डी समिति के सचिवों/कर्मचारियों द्वारा इनके संचालन में रूचि नहीं ली जा रही है। समस्त संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्तर से परीक्षण करें और उसके सम्बन्ध में कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुये रिपोर्ट मुख्यालय भेजें। यदि कॉटों के संचालन व तौलाई में कोई तकनीकी कठिनाई है तो फर्म के प्रतिनिधियों से सम्पर्क कर उसे दूर करायें। सम्बन्धित प्रतिनिधियों के फोन नम्बर उपलब्ध करा चुके हैं। फर्म द्वारा 1–2 दिन में तकनीकी त्रुटि दूर न करने की स्थिति में मुख्यालय को सूचित किया जाये।

<u>10 x 10 वर्ग किलोमीटर में मण्डी स्थलो की स्थापना</u>

प्रत्येक 10 वर्ग किलोमीटर पर एक मण्डी/उपमण्डी स्थापित किये जाने सम्बन्धी (कृषि मार्केटिंग हब) योजना के कियान्वयन हेतु पैक्स (सहकारिता) एवं पंचायत राज विभाग द्वारा मण्डी स्थलों की स्थापना की कार्यवाहियों की प्रगति की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि पी0सी0एफ0 से 44 एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर होकर मुख्यालय प्राप्त हो गये हैं जिनमें से 32 स्थानों पर निर्माण कार्य की कार्यवाही प्रगति में है।

सहकारिता विभाग के 132 एम0ओ0यू0 के सम्बन्ध में सहकारिता विभाग द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों – रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार को हस्ताक्षर हेतु नामित किया गया है। जिला स्तर पर उनके हस्ताक्षर कराकर तुरन्त एम0ओ0यू0 मुख्यालय उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये ताकि निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ हो सके।

पंचायत विभाग के 147 एम0ओ0यू0 पर सम्बन्धित पंचायत के प्रधान के हस्ताक्षर होने हैं यथावश्यक जिले स्तर पर प्रधानों की वर्कशॉप आयोजित कर योजना की जानकारी देते हुए एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर कराकर मुख्यालय उपलब्ध कराया जाये।

शेष 7871 स्थलों के चयन के सम्बन्ध में उपयुक्तता की आख्या उपलब्ध कराने की कार्यवाही भी प्रगति में लायी जाये।

बैठक में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रगति प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि :–

(अ) 01.4.2011 के अवशेष कार्य।

1. आदर्श मण्डी स्थलों के विस्तार/मरम्मत :–

माह अगस्त, 2011 तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कुल 04 नग अपूर्ण कार्यो में से निर्माण खण्ड, सहारनपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, के 01–01 नग कार्य तथा वि0यॉ0 खण्ड इलाहाबाद का 01 नग कार्य अपूर्ण है।

2. मण्डी स्थलों के विस्तार/मरम्मत :–

माह अगस्त, 2011 तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कुल 48 नग अपूर्ण कार्यो में से निर्माण खण्ड, गोरखपुर के 03 नग, निर्माण खण्ड, सीतापुर, एवं अलीगढ़, के 03–03 नग,निर्माण खण्ड, हरदोई, फर्रूखाबाद एवं झांसी के 02–02 नग तथा निर्माण खण्ड, लखनऊ, पीलीभीत, बदायूँ, मुरादाबाद, जे0पी0 नगर, गाजियाबाद, एटा फिरोजाबाद, कानपुर नगर, इलाहाबाद वाराणसी, आजमगढ़ गोण्डा, बहराइच एवं फैजाबाद के 01–01 नग निर्माण कार्य अपूर्ण हैं।

इसी प्रकार वि0यॉ0 खण्ड, गाजियाबाद के 11 नग, इलाहाबाद के 06 नग एवं लखनऊ का 01 नग कार्य अपूर्ण हैं।

3. कृषक सेवा केन्द्र :–

माह अगस्त, 2011 तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 09 नग अपूर्ण कार्यो में से निर्माण खण्ड, गोरखपुर के 02 नग, निर्माण खण्ड हरदोई, गोण्डा के 01–01 नग तथा वि0यॉ0 खण्ड, गाजियाबाद के 03 नग एवं बरेली तथा इलाहाबाद के 01– 01 नग कार्य अपूर्ण हैं।

4. नवीन/मरम्मत सम्पर्क मार्ग :–

माह अगस्त, 2011 तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 57 नग अपूर्ण मार्गो में से निर्माण खण्ड, शाहजहॉपुर, एटा, झांसी के 06–06 नग, फिरोजाबाद के 05 नग, सीतापुर, जौनपुर के 04–04 नग, मिर्जापुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर के 03–03 नग, उरई, इलाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर व बस्ती के 02–02 नग तथा लखनऊ, लखीमपुर, बरेली, बदायूँ, आगरा, कानपुर नगर, गोण्डा के 01–01 नग मार्ग अपूर्ण हैं।

मरम्मत के मार्गो में लक्ष्य के सापेक्ष अपूर्ण 10 नग मार्गो में से निर्माण खण्ड, झांसी के 06 नग, लखनऊ, मुरादाबाद, उरई तथा गोरखपुर के 01–01 नग कार्य अपूर्ण हैं।

उपरोक्त कमांक–1 से 4 तक के अवशेष कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

5. अनुबन्धों का निस्तारण :–

माह अगस्त, 2011, तक वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं उसके पूर्व के निस्तारण हेतु अवशेष अनुबन्धों में से सर्वाधिक निर्माण खण्ड वाराणसी के 14 नग, गोण्डा के 09 नग, फिरोजाबाद के 05 नग, एटा, उरई, के 04–04 नग, शाहजहॉपुर, आगरा, आजमगढ़ के 03–03 नग, मेरठ, गोरखपुर, फैजाबाद के 02–02 नग, सहारनपुर, कानपुर देहात के 01– 01 नग अवशेष हैं।

इसी प्रकार वि00यॉ0 खण्डों में से इलाहाबाद के 12 नग लखनऊ के 03 नग एवं गाजियाबाद के 01 नग अवशेष हैं।

6. कार्यो के सापेक्ष व्यय :–

माह अगस्त, 2011 तक गत वर्ष के अवशेष कार्यो के सापेक्ष निर्माण खण्ड बरेली द्वारा 16.56%, गोरखपुर द्वारा 17.78%, एवं वाराणसी द्वारा 19.01 %, धनराशि व्यय की गई है।

7. निरीक्षण :–

माह अगस्त, 2011 में उप निदेशक (नि0) लखनऊ, शाहजहॉपुर, बांदा, मिर्जापुर एवं गोरखपुर द्वारा निर्माणाधीन कार्यो की निरीक्षण आख्यायें नहीं प्राप्त हुई है जिस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

(ख) वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वीकृत कार्य

माह अगस्त, 2011 तक स्वीकृत मण्डी स्थलों/विस्तार मरम्मत, 13वे वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत उप मण्डी स्थल, सम्पर्क मार्ग नवीन/मरम्मत आदि के स्वीकृत कार्यो की समीक्षा में पाया गया कि कुछ कार्यो के अनुबन्ध अभी तक गठित नहीं हुए है और कुछ कार्य अभी ठेकेदार द्वारा प्रारम्भ नहीं किये गये हैं।

समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गये :–

1. उपरोक्त 01.04.2011 तक अवशेष समस्त कार्यो के सम्बन्ध में सम्बन्धित उप निदेशक (नि0/वि0यॉ0) को निर्देशित किया गया कि वे अवशेष कार्यो यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

2. वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वीकृत मण्डी/उपमण्डी, सम्पर्क मार्ग नवीन/मरम्मत के समस्त कार्यो को नियमानुसार अनुबन्ध गठित कराते हुए प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
3. वित्तीय वर्ष 2008–09 तक के निस्तारण हेतु अवशेष समस्त अनुबन्धों का निस्तारण इसी माह में किये जाने के निर्देश दिये गये साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि कार्यो के पूर्ण होने के उपरान्त अनुबन्धों के निस्तारण की कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करें ताकि निस्तारण हेतु अनुबन्ध लम्बित न हो।
4. कार्यो की लागत के सापेक्ष्य व्यय की स्थिति संतोषजनक नहीं है, निर्देशित किया गया कि निर्माणाधीन कार्यो के सापेक्ष व्यय भी करें।
5. समस्त उपनिदेशक(नि0/वि0यॉ0) को निर्देशित किया गयाकि निर्माणाधीन कार्यो का सघन निरीक्षण करें और निरीक्षण आख्याएं समय–समय पर मुख्यालय प्रेषित करें। निरीक्षण आख्याएं सुस्पष्ट एवं गुणवत्तापरक होनी चाहिए जिसमें कृत कार्यो के विभिन्न मदों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख हो।
6. उपनिदेशक(नि0) गोण्डा द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय ठेकेदारों द्वारा अनुबन्ध गठन के समय फर्जी एफ0डी0आर0 लगाये गये है, जिससे उन अनुबन्धों के निस्तारण में कठिनाई हो रही है। समस्त उपनिदेशक(नि0/वि0यॉ0) को निर्देशित किया गया कि अनुबन्ध गठन के पश्चात ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाले एफ0डी0आर0 का सत्यापन सम्बन्धित बैंक से कराना सुनिश्चित करें।

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1
संख्या–1507/80–1–2011–117/2009
लखनऊः दिनांक सितम्बर, 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
(1) निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
(2) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, कृषि विपणन विभाग।

आज्ञा से,

(गया प्रसाद कमल)
उप सचिव।